

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक : 19M(02)CAMPA(2020-21)- 24

दिनांक : 12/01/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रतिकरात्मक वनरोपण" योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु कुल ₹0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

1. विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 06/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 23.07.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 02/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 24.07.2020 तथा विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 10/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.08.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 22/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 13.08.2020 तत्संबंधी कार्यालय आदेश संख्या 51 ज्ञापांक 04/कैम्पा-04/2020 - 2450 दिनांक 18.08.2020 एवं पत्र संख्या -04/कैम्पा-04/2020 - 2704 व0प0 दिनांक 01.09.2020
2. इस कार्यालय का पत्रांक 245 दिनांक 26.08.2020, पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020, ज्ञापांक 293 दिनांक 28.07.2020 एवं ज्ञापांक 347 दिनांक 03.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष- 103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 02-"प्रतिकरात्मक वनरोपण" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
1	मजदूरी	19S240604103020103	60.00000
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103020323	90.00000
कुल :-			150.00000

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर दृश्य है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020-06/स्वी0 दिनांक 23.07.2020 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

3. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप की जायेगी।
- (II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे—
 - (II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
 - (III) नियमित रूप से राशि का व्यय, सन्तुलन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
 - (IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
 - (V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
 - (VII) गत तीन वर्षों की योजना की 100% प्रवृष्टि e-green watch portal पर की गई है, इसका सत्यापन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा सुनिश्चित करायेंगे, इसकी monitoring करेंगे। JSAC इत्यादि के सहयोग की आवश्यकता हो तो इसे प्राप्त करें।
6. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी—
 - (क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
 - (ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (वाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
 - (ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
7. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।



- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मस्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा सम्भव) भी एकत्र किया जाय।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है। तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रावकलन, योजना सूची सम्बंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंम्पा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।
8. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।
- (III) जैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।
9. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।
- (II) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का अंग है। अनुमोदित APO के अधीन हजारीबाग, गिरीडीह, गोड्डा में इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (III) कडिका-9 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कडिका-11 में अंकित पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी इस योजना के अधीन रहेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कडिका-6 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इस संबंध में कडिका 7 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।
11. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन

संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कडिका 8 (IV) एवं 7 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

14. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आबंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


विश्वासभाजन,


12.01.2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
दिनांक- 12/01/2021

ज्ञापांक- 19M(02)CAMP(2020-21)- 24

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त।


12.01.2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
दिनांक- 12/01/2021

ज्ञापांक- 19M(02)CAMP(2020-21)- 24

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


12.01.2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/01

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 : उपशीर्ष "02-प्रतिकरात्मक वनरोपण"

(मजदूरी दर : ₹0 257.29 प्रति मानव दिवस)

क्रम सं०	निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	क्षतिपूरक / दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपणों संबंधी स्वीकृत शर्तीय अनुपालन संबंधी कार्य				सकल योग		
		जल संचयन संरचना का निर्माण				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल योग
		भौतिक लक्ष्य (संख्या)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	25.000	60.00000	90.00000	150.00000	60.00000	90.00000	150.00000
	सकल योग	25.000	60.00000	90.00000	150.00000	60.00000	90.00000	150.00000

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12.01.2021



अनुलग्नक - 3

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वर्ष 2020-21 में व्यवहृत निम्नलिखित दर्राएँ एवं बजट शीटों के समाने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 19M2CAMP-20-21/24

दिनांक - 12-Jan-2021

क्रमांक	विषय कोड	एकड़ों सं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103020103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी	68878	KDMFORA01	6,000,000.00
	04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकारत्मक वनरोपण 02 - प्रतिकारत्मक वनरोपण 01 - वेहन एवं भले 03 - जलपूर्ति State Scheme		SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये साठ लाख
	State Scheme : COMPENSATORY AFFORESTATION(1767) Central Scheme : NA			

2	S 19 240604103020323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी	68879	KDMFORA01	9,000,000.00
	04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकारत्मक वनरोपण 02 - प्रतिकारत्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - जलपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये नब्बे लाख
	State Scheme : COMPENSATORY AFFORESTATION(1767) Central Scheme : NA			

योग: 15,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ पचास लाख

(Signature)
12.01.2021
(SANJAY SRIVASTAVA)

Additional Principal State Conservator of Forests

59.57 CAMP, Barkhand, Ranchi

Run Date: 12/1/2021